

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर/दरभंगा/नवादा/कटिहार/पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/ जमुई ।
पटना, दिनांक:-

20-2-18

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या- 26-
उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-
2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2954 दिनांक-23.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में 31 मार्च 2018 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रु. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1.	समस्तीपुर	02	0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	200000/- (दो लाख)	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर का ज्ञापांक-120 एवं 116 दिनांक-01.02.2018 के आलोक में (1) मृतक-स्व. शंकर साह, आश्रित-चिन्ता देवी (पत्नी), ग्राम+पो0- बीरसिंहपुर, थाना+प्रखंड-कल्याणपुर, जिला-समस्तीपुर (2) मृतक-स्व. अजित कुमार, आश्रित-चौदनी देवी (पत्नी), ग्राम-रंजितपुर, पो0-खानपुर, थाना+प्रखंड- खानपुर, जिला- समस्तीपुर के भुगतान हेतु।
2	दरभंगा	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, दरभंगा का ज्ञापांक-196 दिनांक-29.01.2018 के आलोक में (1) मृतक-स्व0 अजय सहनी, आश्रित-सरिता देवी (पत्नी), ग्राम-माधोपुर, पो0-कालौजर, प्रखंड-हनुमाननगर, जिला- दरभंगा के भुगतान हेतु।
3	नवादा	02	तदैव	200000/- (दो लाख)	श्रम अधीक्षक, नवादा का पत्रांक-58 दिनांक-17.01.18 एवं पत्रांक-94 दिनांक-25.01.2018 के आलोक में (1) मृतक-स्व0 रामजी महतो, आश्रित-बरती देवी (पत्नी), ग्राम-ओलीपुर, पो0-नरहट, थाना-नरहट, जिला-नवादा (2) मृतक-स्व0 दिनेश कुमार, आश्रित-विभा कुमारी (पत्नी), ग्राम-काजीपुरा, पो0-छोटाशेखपुरा, थाना- नरहट, जिला- नवादा के भुगतान हेतु।
4	कटिहार	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, कटिहार का ज्ञापांक-126 दिनांक-07.02.2018 के आलोक में (1) मृतक-स्व मुकेश कुमार महलदार, आश्रित-श्री कृत नारायण महलदार (पिता) एवं श्रीमती भदिया देवी (माता), ग्राम-भरसिया, पो0-झगरुचक, थाना+प्रखंड-फलका, जिला-कटिहार के भुगतान हेतु।
5	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	02	तदैव	200000/- (दो लाख)	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) का पत्रांक-114 एवं 115 दिनांक-08.02.2018 के आलोक में (1) मृतक-स्व निरंजन कुमार गिरी, आश्रित-गीता कुंवर (पत्नी) ग्राम-हाताहरपुर, पो0-कुँअवा, थाना-चकिया, प्रखंड-कल्याणपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) (2) मृतक-स्व जयकरण सहनी, आश्रित-सीमा देवी (पत्नी) ग्राम-मुसवा, पो0-सपहा, थाना+प्रखंड-सुगौली, जिला-पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के भुगतान हेतु।

6	जमुई	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, जमुई का पत्रांक-100 दिनांक-08.02.2018 के आलोक में (1) मृतक-स्व तनवीर अंसारी, आश्रित-कलीम अंसारी (पिता) ग्राम-ताराकुरा, पो0+थाना+प्रखंड-झाझा, जिला-जमुई के भुगतान हेतु।
	कुल	09		900000/-	

कुल आवंटित राशि ₹ 9,00,000/- (₹ नौ लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत नियमानुसार जाँच पड़ताल कर उन्हीं मृत/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांश नहीं किया गया हो। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फ़ैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि. दिनांक- 26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
6. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
7. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,
20/2/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-307/17 श्र0सं0-152 पटना, दिनांक 20-2-18
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

20/2/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-307/17 श्र0सं0-152 पटना, दिनांक- 20-2-18
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.स.प्रे.सं.-66 एवं 74 (श्रम पक्ष) क्रमशः दिनांक-09.02.2018 एवं 15.02.18 /प्रशाखा-6, बजट शाखा (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

*स्पीड पोस्ट

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संघारण संबंधित योजना शाखा प्रशाखा-01 (श्रमपक्ष) द्वारा किया जायेगा ।

20/2/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-307/17 श्र0सं0-152 पटना, दिनांक 20-2-18
प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

20/2/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।